

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ. ग.)

संपत्तिकर के स्वनिर्धारण संबंधी विवरणी

(नियम 10 (1) देखिए)

वर्ष

1. संपत्ति के स्वामी का नाम (पिता/पति के नाम सहित एवं स्थायी पता दूरभाष नं. यदि हो) :
2. संपत्ति कहाँ स्थित है का पूरा पता :
3. निर्मित क्षेत्र (नियम 2 ज) :
4. भवन पक्का है या कच्चा (नियम 4 (क)) :
5. संपत्ति आवासीय है या (व्यावसायिक या औद्योगिक) (नियम 4-ख) :
6. खुली भूमि का क्षेत्रफल, जो केवल (व्यावसायिक या औद्योगिक) आशय के लिए उपयोग में हैं (नियम 2 फ) :
7. वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना के लिए नगरपालिका द्वारा अवधारित प्रति वर्गफुट वार्षिक दर, जो प्रासंगिक हो. नियम 6-ग) :
8. गणना किया गया वार्षिक भाड़ा मूल्य (नियम 9) :
9. वार्षिक भाड़ा मूल्य पर देय संपत्तिकर (नियम 10) :
10. जलकर (शासन द्वारा विहित न्यूनतम राशि + नगर पालिका द्वारा अवधारित संपत्तिकर के प्रतिशत की राशि) :
- टीप :** यदि भवन स्वामी जलकर का निर्धारित न्यूनतम दर अनुसार मासिक आधार पर भुगतान कर रहा है तब यहाँ केवल नगर पालिका द्वारा अवधारित संपत्तिकर के प्रतिशत अनुसार ही राशि अंकित की जाये ।
11. सामान्य स्वच्छता कर, सामान्य प्रकाश कर व सामान्य अग्नि कर की समेकित राशि (शासन द्वारा विहित न्यूनतम राशि + नगरपालिका द्वारा अवधारित संपत्तिकर के प्रतिशत की राशि) :
12. सरचार्ज की राशि यदि देय हो :
13. नगर पालिका कोष में भुगतान की जा रही कुल राशि (9+10+11+12) का योग :
- टीप :**
 - (1) ऐसी संपत्ति पर जो भवन स्वामी के निवास हेतु उसके आधिपत्य में हो 50 प्रतिशत संपत्ति कर देय ।
 - (2) विवरणी में संदर्भित नियमों के प्रासंगिक अंक अगले पृष्ठ पर देखे जा सकते हैं ।
 - (3) प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग-अलग विवरणी भेजी जावे ।

.....
संपत्ति के स्वामी के हस्ताक्षर

सत्यापन

..... मैं आत्मज निवासी
..... यह सत्यापित करता हूँ कि विवरणी में दी गई जानकारी सही है और यह कि मैंने जिस भवन/भूमि के संबंध में विवरणी दी है, उसका मैं स्वामी हूँ ।

दिनांक

.....
(भवन/भूमि स्वामी के हस्ताक्षर)